न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **चेतन देवड़ा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2017 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 12.09.2017

श्री सत्तार मोहम्मद पिता श्री गुल मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क पेशा मजदूरी निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–श्री शिवलाल पिता श्री मोहन जाति नायक आयु वयस्क निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–श्री भंवरलाल पिता श्री उदा जाति मेघवाल निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा
3–ग्राम पंचायत लसड़ावन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरूद्ध पट्टा संख्या 010356 आवंटन दिनांक 07.10.1996 ग्राम पंचायत लसड़ावन

उपस्थिति :–श्री खुमराज कुमावत, अधिवक्ता निगराकार

निर्णय

दिनांक 18.02.2020

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 2 भंवरलाल को तथाकथित बिना प्रस्ताव लिये आवासीय भूमि का निः शुल्क भूखण्ड आवंटन का पट्टा संख्या 010356 दिनांक 07.10.1996 को जारी किया जो बनावटी होकर फर्जी तैयार किया गया है इस पट्टे बाबत कोई रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उक्त भूखण्ड पर निगराकार का सन् 2000 से कब्जा होकर काबिज है तथाकथित पट्टा संख्या 010356 विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 के नाम विक्रय कर दिया जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उक्त पट्टा निरस्त करने का आदेश फरमावें।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। ग्राम पंचायत से पट्टे से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तलबीदा पत्रावली के संबंध में ग्राम पंचायत लसड़ावन का पत्रांक/पं./2018-19/18 दिनांक 08.06.2018 प्राप्त हुआ कि उक्त पट्टे से संबंधित मिसल/पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पत्र शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 शिवलाल दिनांक 26.12.2017 को स्वयं उपस्थित हुआ तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज टेलर ने दिनांक 26.12.2017 को अण्डरटेंकिग प्रस्तुत की उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी संख्या 3 भी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। बहस प्रकरण अधिवक्ता निगराकार सुन प्रकरण गुणावगुण पर देखा गया।

निगराकार के अधिवक्ता ने निगरानी मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत लसड़ावन द्वारा विपक्षी संख्या 2 के नाम पट्टा संख्या 010356 दिनांक 07.10.1996 को जारी किया जो पूर्णतया बनावटी एवं फर्जी तैयार किया गया है। उक्त पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत में कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है तथा उक्त पट्टे को विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 को विक्रय कर दिया। निगराकार का उक्त पट्टे वाले भूखण्ड पर सन् 2000 से कब्जा होकर इस भूखण्ड बाबत् 35/- रूपये भी ग्राम पंचायत में जमा कराये तथा सन् 2000 से अप्रेल 2017 तक कब्जा रहा। निगराकार के बीमार होने से उदयपुर ईलाज कराने जाने पर विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 से साठ-गांठ कर निगराकार के 17 वर्ष पुराने कब्जेशुदा भूखण्ड से निगराकार को बिना बेदखल किये कब्जा कर लिया। अतः पट्टा संख्या 010356 दिनांक 07.10.1996 जो विपक्षी संख्या 2 के नाम जारी किया गया है उस पर से विपक्षी संख्या 1 का कब्जा हटाया जाकर उक्त पट्टा निरस्त फरमावे।

हमने अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। ग्राम पंचायत से पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब करने पर ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे का रेकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया है। निगराकार ने उक्त पट्टा संख्या 010356 दिनांक 07.10.1996, विपक्षी संख्या 2 के द्वारा विपक्षी संख्या 1 को विक्रय किए जाने का कथन किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 को विक्रय किए जाने के कथन की पुष्टि होती हो तथा उक्त पट्टा/भूखण्ड कितने रूपये मे विक्रय किया गया तथा किस दिनांक को विक्रय किया गया इस संबंध में भी कोई कथन/ठोस आधार निगराकार के पास उपलब्ध नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

निगराकार ने उक्त विवादित भूखण्ड के पेटे ग्राम पंचायत में 35/-रूपये जमा कराने का कथन किया है किन्तु साक्ष्य स्वरूप उक्त 35/-रूपये जमा कराने की रसीद प्रस्तुत नहीं की है। निगराकार ने सन् 2000 से उक्त पट्टे वाले विवादित भूखण्ड पर अपना कब्जा होना बताया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि में उक्त विवादित भूखण्ड पर कब्जा होने बाबत कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवादित भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो। निगराकार ने मात्र गांव के राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि की प्रति पेश की जिससे विवादित भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा प्रमाणित नहीं होता। केवल मात्र निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता के संबंध में किये गये कथन के आधार पर यह पट्टा निरस्त किया जाना उचित नहीं है। साथ ही पंचायत में रिकार्ड की अनुपलब्धता पट्टे के निरस्ती का आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि रिकार्ड की अनुपलब्धता में पट्टेधारी का कोई दोष नहीं है। निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है। निगरानीकार पक्ष ने दौराने बहस स्वीकार किया कि वर्तमान में 650 वर्गफीट भूमि पर उनका कब्जा होकर निवास है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। गैर निगरानीकार ग्राम पंचायत लसड़ावन को आदेशित किया जाता है कि निगरानीकार के कब्जे की 650 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी करने बाबत् बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावे।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चेतन देवड़ा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़